

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

email:aayukt.ele@gmail.com

Phone:01512226551

--:आदेश:-

निम्नांकित परिदीक्षाधीन अध्यापकों को निर्देशानुसार उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा की अनुशांशा के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित विश्वविद्यालय से पत्राचार पाठ्यक्रम अन्तर्गत स्वयं के व्यय पर अध्ययन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	जिला	नाम अध्यापक एवं पदस्थापन	विश्वविद्यालय का नाम एवं वर्ष
1.	जोधपुर	डालचंद अ. राप्रावि, जाटो की ढाणी मंडला कल्ला, प.स. देचू	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्वकोटा वर्ष 2020-22 (प्रथम वर्ष)
2.	जोधपुर	प्रेमप्रकाश, अ.राउप्रावि, निम्बो की ढाणी नवलसर प.स.बालेसर	पत्राचार बी.एड अनुमति इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली वर्ष 2020-22 (प्रथम वर्ष)
3.	नागौर	प्रियंका लेगा, अ. राउप्रावि, लेगा की ढाणी प.स.मोलासर	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्वकोटा वर्ष 2020-22 (प्रथम वर्ष)
4.	नागौर	जितेन्द्र बजाज, अ. राउप्रावि, संख्या-02, मकोडी प.स.नागौर	पत्राचार बी.एड अनुमति पंजाब विश्वविद्यालय वर्ष 2020-22 (प्रथम वर्ष)
5.	धौलपुर	मेधा मित्तल अ. राउप्रावि, करीमपुर का पुरा, करीमपुर प.स.सैपड	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्वकोटा वर्ष 2020-22 (प्रथम वर्ष)
6.	धौलपुर	दीपक कुमार शर्मा अ. राप्रावि, नयापुरा, नादनपुर प.स.बसैडी	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्वकोटा वर्ष 2020-22 (प्रथम वर्ष)

उपर्युक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सम्बन्धित अध्यापक को अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
2. आशार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के गलत पाये जाने पर अनुशा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
3. पाठ्यक्रम की वैधता न होने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार से मान्यता न होने की स्थिति में सम्बन्धित अध्यापक उत्तरदायी होगा तथा किसी भी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा।
4. सम्बन्धित को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
5. द्वितीय वर्ष हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 25.02.2021

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शि.स/एफ-3/पत्रा.बी.एड.अनु/समस्त.म/2021/

प्रतिलिपी:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय), प्रा.शि., जोधपुर/नागौर/धौलपुर।
2. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ।
4. सम्बन्धित अध्यापक रा.प्रा.वि/रा.उ.प्रा.वि.।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर